कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 05, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मीना पुत्र स्व0 **रामअशीष** नि0 **चिड़िया मलारी थाना को0देहात** जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–339/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. देशराज पुत्र हृदयराम नि0 ग्राम शम्भू पुरवा सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–175/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लखराजी पत्नी स्व0 अशर्फी कुमार नि0 पंचपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–215/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मोनई पुत्र बाऊर नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–229/21, 02. आफत अली पुत्र ननकने नि0 मोहल्ला चाई टोला थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–231/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. नकछेद कोरी उर्फ अवधेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार नि0 जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–289/21, अरविन्द निषाद उर्फ खदेरू पुत्र जंगली निषाद नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–290/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विनोद यादव पुत्र राम अभिलाख नि0 लक्ष्मणपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–691/21, 02. मो0 आमीन पुत्र मो0 शफी नि0 चुंगी नाका राजेन्द्र नगर नौशहरा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–693/21, 03. रंजीत कुमार पुत्र कुन्ने नि0 ग्राम धनौली थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–624/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.09.2021

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त आशीष तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादिनी श्रीमती लालमती पत्नी स्व0 राजनरायण मिश्र नि0 ग्राम डब्लू मिश्र का पुरवा बैती कला बीकापुर जनपद अयोध्या की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित किया करता था जिससे परेशान होकर पीड़िता ने फांसी लगा ली थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आशीष तिवारी पुत्र स्व0 राम भगत उर्फ राम भरोसे नि0 महक पुरवा असरथा थाना तरबंगज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–224/21, धारा 498ए, 304बी, भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 अशोक सिंह मय टीम।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत थाना धानेपुर पुलिस ने दो गुमशुदा बच्चो को सकुशल बरामद कर परिजनों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने **'ऑपरेशन मुस्कान'** के अन्तर्गत गुमशुदा बच्चों की शीघ्र सकुशल बरामदगी के लिए जनपद के समस्त विवचकों एवं वादीगण के साथ गोष्ठी की थी। जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचकों को वादीगण द्वारा दिए गए संकेतो/सूत्रों के आधार पर सर्विलांस/ साइबर सेल की मदद लेकर एवं टीम बनाकर गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश दिए थें। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 07.09.2021 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 02 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना धानेपुर क्षेत्र के रहने वाले श्री अजय कुमार नें दिनांक 09.03.2021 को थाना धानेपुर में सूचना दी थी कि उसका नाबालिग दत्तक पुत्र कही चला गया है। काफी खोजबीन करने पर भी नही मिला है। इसी तरह दिनांक 30.08.2021 को श्री त्रिभुवन दत्त शर्मा ने भी सूचना दी थी कि उसका नाबालिग पुत्र कही चला गया है। जिसकी काफी खोजबीन उनके स्तर पर विभिन्न सम्बंधित जगहो पर की गयी परन्तु बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। इन सूचनाओं पर थाना धानेपुर मे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दोनो गुमशुदा बच्चो की शीघ्र एवं सकुशल बरामदगी के लिए थाना धानेपुर में 02 अलग-अलग टीमें बनाकर लगाई गयी थी। उ0नि0 रामअशीष मौर्या व उ0नि0अयोध्या सिंह के नेतृत्व में बनाई गयी इन टीमों ने बच्चों को गोण्डा जनपद के अतिरिक्त विभिन्न जनपदो के बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, बाजारों एव विभिन्न स्थानों पर गहनता से तलाश किया जिसके फलस्वरुप दोनो टीमों ने आज दिनांक 07.09.2021 को दोनो बच्चों जिनमें से एक बच्चे को दुखहरन नाथ मंदिर गोण्डा व दूसरे को अयोध्या से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। बरामद बच्चों के सम्बध में विधिक कार्यवाही पूर्ण कर बच्चों को उनके परिवारीजनो को सकुशल सुपुर्द किया गया है। अपने बच्चों को सकुशल पाकर दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी तथा सभी ने पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा व धानेपुर पुलिस को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया।